(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7163–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला राजगढ़ (ब्यावरा) प्रकरण कमांक 07/बी–103/धारा–33/2011–12.

मेसर्स एसेट्स केयर एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन इन्टरप्राइजेस लि.
रजिस्टर्ड आफिस–द्वितीय तल, मोहन देव बिल्डिंग
टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001 .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प्स
सह जिला पंजीयक, राजगढ़ (ब्यावरा) .....अनावेदक

श्री के0के द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कम्पनी एवं देना बैंक के मध्य एक एसाइनमेन्ट एग्रीमेंट (ऋणों का समनुदेशन) मूल्य 13,50,00,000/– निष्पादित किया जाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक सारंगपुर जिला राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत परिबद्ध कर अधिनियम की धारा 38 (2) के तहत उचित मुद्रांक वसूली हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला राजगढ़ (ब्यावरा) को संदर्भित किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला द्वारा प्रकरण कमांक 07/बी–103/धारा–33/2011–12 दर्ज कर दिनांक 28–5–2016 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 13,56,750/– एवं अधिनियम की धारा 40 के तहत शास्ति 2,000/– रूपये कुल 13,58,750/– रूपये 30 दिवस में जमा करने के आदेश दिये

गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुसार आदेश की परिभाषा में नहीं होने से निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत उत्तर एवं तथ्यों का परिशीलन किये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म.प्र. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 75 के विपरीत आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 10 गुना राशि अभिनिर्धारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, क्योंकि असाईनमेन्ट आफ डेब्ट्स एग्रीमेन्ट पर विधि अनुसार 0.1 प्रतिशत की राशि के मुद्रांक शुल्क देय है । यह भी कहा गया कि इसी कम्पनी के द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, राजगढ़ के प्रकरण कमांक 5/बी–103/11–12 आदेश दिनांक 3–6–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण कमांक 1881–एक/2011 में दिनांक 1–7–2013 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय होना मान्य किया गया है, और इस न्यायालय के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय भी द्वारा यथावत रखा गया है। उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में सभी तथ्यों की विवेचना करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाकर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष में विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा मात्र जो consideration भुगतान हुआ है रूपये 13,50,00,000/– का, उस पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है । जबकि अधिनियम के शेड्यूल के मुताबिक जितना debt assign हुआ है, उस पर 0.1

प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा । इस प्रकरण में कुल रूपये 79.09 करोड़ का debt assign हुआ है, अतः उस पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है । अर्थात स्पष्टतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कम मुद्रांक शुल्क का निर्धारण किया गया है । जहां तक पंचायत उपकर ज्यादा लगाये जाने का प्रश्न है, इस पर भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विचार कर निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उन्हें प्रत्यावर्तित किया जाये कि Agreement Assignment पर मुद्रांक शुल्क एवं पंचायत उपकर का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित करते हुए पुनः आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर